पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 21.09.2020 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा खाटुकलां, खिंयावास, रूपनगर के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 454/1, 481/1 की भूमि को यथावत प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में व खसरा नंबर 451, 771/1 का माफिक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा अनुसार बंट चाहा है जो कि पूर्ण रूपेन विभाजन नहीं है अतः खसरा नंबर 451, 771/1 की भूमि का बंटवाड़ा पूर्ण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 12.10.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 12.10.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 4798 दिनांक 16.12.2021 को प्राप्त हुआ, हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादीगण व प्रतिवादीगण ईश्वरसिंह, मानसिंह, जितेन्द्रसिंह, रतनसिंह ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि पटवार हल्का की उपस्थिति में मुताबिक पीडी रिपोर्ट पढकर सुनाने एवं हस्ताक्षर से भी होती है। प्रतिवादी संख्या 2 आनन्दसिंह पुत्र मानसिंह से दूरभाष संख्या 9602056904 पर वार्ता की गई जिन्होने भी बंटवाड़े में सहमति जाहिर की। पीडी प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान्/वकुलाय को सुना गया। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। चूकि समस्त पक्षकारान् पीडी प्रस्ताव से सहमत है तथा वादग्रस्त खेताय का माफिक पीडी अंतिम बंटवाड़ा चाहते हैं इसलिये हम वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अंतिम डिग्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर माफिक तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव संख्या 4798 दिनांक 16.12.2021 के अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

1. वादी संख्या 1 ईश्वरसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाटुकलां का खेत खसरा नंबर 451 रकबा 9.0083 हैक्टेयर में से 0.1214 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी भाग व मौजा खिंयाबास का खेत खसरा नंबर 771/1 रकबा 2.1699 में से 1.6187 हैक्टेयर उतरी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जितेन्द्रसिंह, आनन्दसिंह, मानसिंह के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाटुकलां का खेत खसरा नंबर 451 रकबा 9.0083 हैक्टेयर में से 6.3779 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार व मौजा खिंयाबास का खेत खसरा नंबर 771/1 रकबा 2.1699 में से 0.5512 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 4 रतनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाटुकलां का खेत खसरा नंबर 451 रकबा 9.0083 हैक्टेयर में से 2.5090 हैक्टेयर उतरी पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 22/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/12/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner